



राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग

क्रमांक: प.1(6) पर्यटन / 2011

जयपुर, दिनांक:—

—: आदेश :—

श्री संजय पाण्डे, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर के विरुद्ध विभाग की महिला सहकर्मियों के प्रति उत्पीड़न तथा अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति दुर्घटनाकारी शिकायत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के फलस्वरूप महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसरण में श्री संजय पाण्डे, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय पर्यटन विभाग का स्थानान्तरण अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर के नवसृजित रिक्त पद पर एतद्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विष्णु कुमार गोयल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यटन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, उदयपुर।
7. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को देकर उल्लेख है कि श्री संजय पाण्डे को आज ही कार्यमुक्त कर सूचना भिजवायें।
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. एसीपी (उप निदेशक), निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर/उदयपुर।
12. कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
13. श्री संजय पाण्डे अतिरिक्त निदेशक निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
14. निजी/रक्षित पत्रावली संबंधित।

संयुक्त शासन सचिव

